न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 64/2019 राजस्व अपील

1. रामफुल पुत्र बदरी मीना जाति मीना निवासी ग्राम श्रीया तहसील रामगढ पचवारा थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 17.09.2019 तहसीलदार रामगढ पचवारा प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामफुल मु. नं. 109/2019 अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैराकार सरकार उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 18.02.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ने एक रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ पचवारा के समक्ष इस आशय की पेश की कि ग्राम श्रीया तहसील रामगढ पचवारा के आराजी भूमि खसरा नं. 118/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा पर अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई एवं जवाबदेही शहादत सबूत का अवसर प्रदान किये बिना 50 गुना पेनल्टी एवं तीन माह (90 दिवस) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश फरमा दिये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा के उक्त आदेश दिनांक 17.09.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय दिनांक 17.09.2019 विधि विधान एवं कानून की सामान्य प्रक्रिया एवं सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही सजा, पेनल्टी एवं बेदखली के आदेश जारी कर कानून की अवहेलना की है। धारा 91 एल.आर.एक्ट में कार्यवाही पटवारी द्वारा की गई शिकायत पर की गई है। जबकि पंचायत में निहित सम्पत्ति पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में कार्यवाही केवल पंचायत की शिकायत पर ही की जावेगी। तहसीलदार जी कार्यवाही करना चाहे तो ग्राम पंचायत को नोटिस देना

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवश्यक है। इसलिये यह समस्त कार्यवाही लीगल नहीं होने एवं अवैध होने के कारण जैर निर्णय/आदेश अपील निरस्तनीय है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 17.09.2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामफुल मु. नं. 109/2019 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने संवत 2076 में ग्राम श्रीया तहसील रामगढ पचवारा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 118/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा पर मुंगफली एवं ग्वार की फसल काश्त कर एवं बोरिंग कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 17.09.2019 को बेदखल करने एवं शास्ति आरोपित करने के साथ ही तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर तहसीलदार रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 17.09.2019 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट ने संवत 2076 में ग्राम श्रीया तहसील रामगढ पचवारा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 118/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा पर मुंगफली एवं ग्वार की फसल काश्त कर एवं बोरिंग कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 17.09.2019 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। मुकदमा नम्बर 109/2019 उनवानी सरकार बनाम रामफुल में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official